6/10/23 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्रों पर दिनांक 05.10.2023 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि दावाकृत भूमि ग्राम देराठू की हाल खसरा नम्बर 2540 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 2544 रकबा 1.12 है0 व खसरा नम्बर 2539 रकबा 0.04 है0 भूमि अपीलार्थीगण की आवंटनशुदा खातेदारी भूमि है तथा अपीलार्थीगण काबिज चले आ रहे है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र संख्या 61/2023 में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा बिना किसी आधार के पारित की गयी जिससे अपीलार्थीगण को रेस्पोडेन्टगण भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा भूमि पर ऋण प्राप्त करने पर अड़चन पैदा कर रहे है जिससे अधीनस्थ न्यायालय में पारित स्थगन आदेश की जानकारी होने पर आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी का अपीलांट द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया किन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई तथा तारीख पेशी दिनांक 21.09.2023 एवं 24.11.2023 नियत कर दी गयी जिससे अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें देरी क्षमा योग्य है। अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस प्राप्त होने पर तारीख पेशी दिनांक 20.07.2023 को आक्षेपित आदेश दिनांक 17.05.2023 की जानकारी हुई के पश्चात ही नकल प्राप्त कर सुनवाई नही होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गयी है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थीगण की अपील अन्दर मियाद जानकारी से पेश करने से मियाद अवधि क्षमा की जाकर अपील ग्रहण करने के आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करावें।

तत्पश्चात् अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि दावाकृत भूमि ग्राम देराठू की हाल खसरा नम्बर 2540 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 2544 रकबा 1.12 है0 व खसरा नम्बर 2539 रकबा 0.04 है0 भूमि अपीलार्थीगण की आवंटनशुदा खातेदारी भूमि है तथा अपीलार्थीगण काबिज चले आ रहे है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र संख्या 61/2023 में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा बिना किसी आधार के पारित की गयी जिससे अपीलार्थीगण को रेस्पोडेन्टगण भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। मौके पर अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का कब्जा आधिपत्य है एवं अपीलार्थीगण की आवंटनशुदा खातेदारी भूमि होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन होने से अपीलार्थीगण के पक्ष में निहित होने से तथा दिनांक 17.05.2023 के अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की आड़ में अपीलार्थीगण को रेस्पोडेन्टस भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा भूमि पर ऋण प्राप्त करने पर अड़चन पैदा कर है जिससे स्थगन आदेश दिनांक 17.05.2023 की क्रियान्विति, प्रभाव को स्थगित किया जावें। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तिनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील ग्राम देराठू की हाल खसरा नम्बर 2540 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 2544 रकबा 1.12 है0 व खसरा नम्बर 2539 रकबा 0.04 है0 पर पारित अधीनस्थ न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 17.05.2023 की क्रियान्विति एवं प्रभाव को स्थगित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.5.2023 का है प्रार्थी के अनुसार उसे दिनांक 20.7.2023 को उपखण्ड अधिकारी न्यायालय से नोटिस प्राप्त हुआ था। नोटिस प्राप्त होने के बाद स्थगन आदेश की जानकारी मिली और हमारे द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र वहां प्रस्तुत किया गया मगर उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर अगली तिथि दिनांक 21.9.2023 एवं 24.11.2023 नियत कर दी गई। उसके बाद न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 19.9.2023 को प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। उपखण्ड अधिकारी को 1 महीने के अंदर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मामले में जवाब प्राप्त कर निर्णय करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया और अगली दो पेशियां तय कर

6.10.23
राजस्व अपील प्राधिकारी

आयुक्तकी v/s खजानसिंह (2023)298)

दी गई है। अपीलांट के पास अपील करने के अलावा कोई और रास्ता शेष नहीं रहता अपील को जानकारी दिनांक के बाद उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं दिए जाने से अपील प्रस्तुत करनी पडी जानकारी दिनांक से इस अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया प्रार्थी के अनुसार विवादित भूमि जिनके बाबत उपखण्ड अधिकारी द्वारा अंतिरत स्थगन आदेश दिनांक 17.5.2023 को दिया गया था (खसरा नम्बा 2540 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 2544 रकबा 1.12 है0 व खसरा नम्बर 2539 रकबा 0.04 है0 ग्राम देराठू) यह भूमियां अपीलांट की खातेदारी भूमियां है उनपर अपीलांट काबिज काश्त चले आ रहे है उक्त भूमि उन्हें आवंटित की गई थी। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की वजह से रेस्पोडेंट उन्हें भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा भूमि पर ऋण प्राप्त करने पर अडचन पैदा कर रहा है। उक्त स्थगन आदेश दिनांक 17.5.2023 की क्रियान्विति व प्रभाव को स्थगित किया जाए। साथ ही प्रथम दृष्टया प्रकरण अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन का बिंदु भी अपने पक्ष में बताया।

वकील अपीलांट के आग्रह पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस में उनके द्वारा यह बताया गया कि विवादित आदेश में अंकित भूमियां बाबत प्रार्थना पत्र संख्या 61/2023 में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 17.5.2023 रेस्पोडेंट के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिया गया था उक्त प्रकरण में हमारे द्वारा जवाब दिया गया था। मगर हमारे जवाब पर निर्णय नहीं कर पेशियां दी गई है। चौसाला खसरा नम्बर 2040 बाबत कौन से खसरा नम्बर वर्कीग जमाबंदी एवं हाल जमाबंदी में बने हैं इस बाबत विवाद है। वकील अपीलांट द्वारा मिलान खसरा क्षेत्रफल आवंटन आदेश के बाद गैर खातेदारी नामांतरकरण संख्या 234 एवं गैर खातेदारी से खातेदारी अंकन नामांतरकरण संख्या 222 तथा हाल जमाबंदी ग्राम देराठू संवत 2073 से 2076 खाता संख्या नया 34 खसरा नम्बर 2539, 2544, बाबत दस्तावेज प्रस्तुत किया है। जमाबंदी खाता संख्या 34 ग्राम देराठू संवत 2073–2076 के अनुसार खसरा नम्बर 2539 रकबा 0.0400 बारानी 3 2544 रकबा 1.1200 बारानी 3 अपीलांटगण के नाम पर खातेदारी खातेदार के रूप में दर्ज है। अपीलांट अनुसूचित जाति के सदस्य है जमाबंदी के अनुसार यह उक्त खसरा नम्बर बाबत खातेदार कृषक हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांटगण का बनना पाया जाता है। स्थगन आदेश की वजह से अपीलांटगण को ऋण आदि मिलने में दिक्कत पेश हो रही है। तथा उन्हें अपनी भूमि से बेदखल होने की आशंका की समस्या से झूझना पड़ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के स्थगन आदेश से उन्हें अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण संभावना बनती हैं। अपीलांटगण अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा कानून के विपरीत जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया है जो उचित नहीं है। न्यायालय इस स्टेज पर यह उचित समझता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के पक्ष में प्रदत्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 17.5.2023 की पालना एवं प्रभाव को अंतरिम रूप से स्थगित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण संख्या 61/2023 में उभयपक्षों को सुनकर 212 के प्रार्थना पत्र में अंतिम निस्तारण दो सप्ताह में आवश्यक रूप से करे। अपीलांटगण/अपीलांट अभिभाषक को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय मे आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। अधीनस्थ न्यायालय में 212 के प्रार्थना पत्र के अंतिम निस्तारण तक अधीनस्थ न्यायालय का अंतरिम स्थगन आदेश स्थगित रहेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

6.10.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर